न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन न0 336/2022

प्रार्थी :– 1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

बनाम

विप्रार्थीगण :– गंभीरसिंह पुत्र गणपतसिंह,फतेहसिंह, महेन्द्रसिंह पि.करणसिंह, श्रीमती उषकंवर पत्नी स्व. करणसिंह, नारायण सिंह गोदपुत्र किशोरसिंह मु. छगनकवंर पत्नी हिम्मतसिंह, नरेन्द्रकवंर व प्रेमसिंह पुत्री हिम्मतसिह कौम राजपूत वगै0

प्रार्थना पत्र धारा 130, 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59, 60, 66, 86 भू–अभिलेख नियम 1970

उपस्थिति :– 1. प्रार्थी, तहसीलदार पचपदरा
2. विप्रार्थीगण, अनुपस्थित ।

आदेश दिनांक :– 19.05.2023

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि राज्य सरकार के आदेश कमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है, उसको रास्ते के रूप में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है के कमः मे प्रस्तुत कर ग्राम रातानाडा, पटवार मंडल खेड, भू.अ. निरीक्षक साजियाली पंदमसि [illegible] वल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी रास्ता (जो भी ला[illegible]) [illegible] पटवार मंडल खेड से सरहद मौजा साम्भरा को जोडने वाली ग्रेवल व सी.सी [illegible]क तक कदीमी रास्ता चल रहा है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.05.31 21:28:38 IST
Reason: SelfAttested

विवेक व्यास
19.5.2023
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

लगातार..........

उक्त कदीमी रास्ता ग्राम **रातानाडा, पटवार मंडल खेड, भू.अ. निरीक्षक साजियाली पदमसिंह** के खसरा संख्या 753/2, 902/2, 757/3, 2, 1, 1772/1, 893/1, 894/1, 895/1, 729/1 भूमि मे चल रहा है को प्रार्थना पत्र के संलग्न परिशिष्ट 'अ' व नक्शा परिशिष्ट "ब" अनुसार **ग्राम रातानाडा पटवार मंडल खेड से सरहद मौजा साम्भरा को जोडने वाली ग्रेवल व सी.सी सडक तक चल रहे** ग्रेवल सडक /डामर सड़क / बारहमासी रास्ता को सम्बन्धित खातेदारो की खातेदारी से परिशिष्ट "अ" में वर्णित विवरण अनुसार रास्ता दर्ज करने के सम्बन्ध मे ग्राम पंचायत खेड पचांयत समिति बालोतरा के पत्र क्रमांक -91 दिनांक 26.8.2022 के संलग्न बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 20.6.2022 एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित। प्रार्थी से मौके की विस्तृत रिपोर्ट तलब की गयी जिस पर पत्र कमाक /राजस्व/2023/319 दिनांक 25.04.2023 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रकरण मे मौके पर ग्राम **रातानाडा, पटवार मंडल खेड, भू.अ. निरीक्षक साजियाली पदमसिंह** के खसरा संख्या 753/2, 902/2, 757/3, 2, 1, 1772/1, 893/1, 894/1, 895/1, 729/1 मे मौके पर कदीमी रास्ता चालू है तथा खसरा संख्या 753/2, 902/2, 2 मे मौके पर सी.सी रोड बनी हुई है तथा अन्य खसरों मे ग्रेवल ग्राम सांभरा की सीमा तक बनी हुई है , रास्ता मौके पर अवरूद्ध नही है, रास्ता बाबत किसी न्यायालय का स्थगन आदि नही है,,रास्ता बाबत कोई विवाद नही है व आमजन से सम्बन्ध [illegible] द्वारा मौके पर चल रहे रास्ता दर्ज करने की अनुशंषा की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.05.31 21:28:38 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा के निवेदन पर बहस सुनी गई ।

पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन एवं समूची स्थिति पर विवेचन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा 19.5.2023
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

लगातार..........

बहस पर मनन किया गया जिसमे पाया कि उक्त प्रकरण राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है, मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत मे मौजूद है तथा आम जन इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग मे ले रहे है, जो आम जन से सम्बन्ध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना को स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम **रातानाडा, पटवार मंडल खेड, भू.अ. निरीक्षक साजियाली पदमसिंह** के खसरा नं. 753/2, 902/2, 757/3, 2, 1, 1772/1, 893/1, 894/1, 895/1, 729/1 भूमि में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी रास्ता **रातानाडा पटवार मंडल खेड से सरहद मौजा साम्भरा को जोडने वाली. ग्रेवल व सी.सी सडक तक चल रहे को** प्रस्तावित परिशिष्ट 'अ' परिवर्तन खतौनी में वर्णित विवरण अनुसार रास्ता राजस्व रेकर्ड में अंकन करने का आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिये जाते है। उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत अनुसार संबंधित खातेदारान के नाम खाते मे ही दर्ज रहेगा। तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तावित तरमीम खतोनी परिशिष्ट 'अ' एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा परिशिष्ट 'ब' निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा ।

(विवेक व्यास)
भू–अभिलेख अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.05.31 21:28:38 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 19.05.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19.5.2023

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा
भू–अभिलेख अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा